



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2012/चैत्र 15, 1934

No. 642]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2012/CHAITRA 15, 1934

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2012

का.आ. 733(अ).—कम्पनी (केन्द्र सरकार का) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 के नियम 5क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सहायक आयकर आयुक्त, गुवाहाटी को कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 108 की उप-धारा (1क) के खंड (क) के प्रयोजनार्थ निर्धारित अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17/36/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2012

S.O. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 5A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, the Central Government hereby appoints the Assistant Commissioner of Income-tax, Guwahati, as the prescribed authority for the purposes of clause (a) of sub-section (1A) of Section 108 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[F.No. 17/36/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.